न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी श्री सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या :– 137/2018

बउनवान

रामकरण पुत्र श्यामलाल जाति गाडरी गुर्जर निवासी खांखरा तहसील छबडा जिला बारॉ

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां

(रेस्पोडेन्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित :– 1– श्री मदनलाल गालव अभिभाषक **(अपीलांट)**

2– पेरोकार सरकार **(रेस्पोडेन्ट)**

निर्णय दिनांक 11.3.2019

अपीलांट ने यह अपील जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबडा के प्रकरण संख्या 23/2018 किस्म धारा 91 एल.आर.एक्ट मे पारित निर्णय दिनांक 28.9.2018 के विरूद्व अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपील के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट को वाके ग्राम बारई की सरकारी भूमि किस्म चारागाह पर सम्वत् 2075 में खसरा नम्बर 785 की रकबा 3 बीघा भूमि पर फसल सोयाबीन की बोई जाकर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 90 दिन की सिविल कारावास की सजा एवं 150/–रूपये तावान राशि के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील प्रस्तुत की गई।

इस पर अपील को दिनांक 29.10.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब कर, अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

अपीलांट अभिभाषक ने दौराने बहस व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट पर विश्वास कर बिना स्वतंत्र गवाहान के बयान लिये तथा अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना निर्णय पारित कर सजायाब किये जाने मे भारी भूल की है। तहसीलदार छबडा द्वारा अथवा हल्का पटवारी द्वारा अपीलांट के अतिक्रमण बाबत आराजी की पैमाईश आज तक नही की गयी है। अपीलांट की अपने खाते की आराजी है जिस पर वह अपने पूर्वजो के समय से काश्त करते आ रह है। अपीलांट का किसी सरकारी जमीन पर कोई अतिक्रमण नही है। हल्का पटवारी द्वारा अपीलांट के खिलाफ मिथ्या आधारो पर शिकायत की गयी है। जिसके आधार पर पारित निर्णय निरस्तनीय है।

अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण मे माइन्ड एप्लाई किये बिना अथवा पैमाईश करवाये बिना साइक्लोस्टाईल प्रोफार्मा मे रिक्त स्थानो की पूति कर अपीलांट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना एक ही दिन दिनांक 28.9.2018 को निर्णय पारित कर दिया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरीत होन से निरस्तनीय है।

यह कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य नही है जिससे अपीलांट का उक्त आराजी से पूर्व मे बेदखल किया जाना प्रमाणित है, फिर भी पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानने मे भारी भूल की है। तहसीलदार छबडा द्वारा मौके पर जाकर जिन लोगो की फसल चारागाह पर थी नको समझाकर मौके की फसल को जानवरो से चराकर नष्ट करवाकर उन्हे आराजी से बेकब्जा कर दिया था। अपीलांट का किसी चारागाह आराजी पर फसल सोयाबीन करने का कथन मिथ्या है। अपीलांट दिनांक 28.9.2018 को अधीनस्थ न्यायालय मे भी उपस्थित हुआ है तथा लिखित मे आवेदन किया कि अपीलांट का उक्त विवादित आराजी पर कोई कब्जा नही है ओर न ही उसने फसल की है तथा श्रीमान द्वारा बतायी गई आराजी पर उसका कब्जा नही है। इसके बावजूद सुनवाई नही की एवं उसे वापस भेज दिया तथा विधि विरूद्व निर्णय पारित कर दिया एवं अपीलांट के विरूद्व सजा के संबंध मे गिरफ्तारी वारन्ट जारी कर दिये जिसकी जानकारी अपीलांट को दिनांक 12.10.2018 को पुलिस के पहुचने व बताने पर तथा गिरफ्तार करने पर हुयी। अपीलांट द्वारा जुर्माना राशि 6000/– रूपये मय तावान के जमा करवा लिया गया है एवं जमीन पर अपीलांट का कब्जा नही है। अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा का निर्णय दिनांक 28.9.2018 मिसल नम्बर 23/2018 बउनवान सरकार बनाम रामकरण को निरस्त फरमाया जावे एवं अपीलांट को दोषमुक्त घोषित किया जावे।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि अपीलांट द्वारा सरकारी भूमि किस्म चारागाह पर फसल सोयाबीन की बोई जाकर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया जाकर तामील करवाई गई है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय मे बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहा है। अपीलांट द्वारा गतवर्ष सम्वत् 2074 मे भी इसी आराजी पर अतिक्रमण किया गया था, जिसको पटवारी हल्का द्वारा बेदखल किया गया था। अपीलांट द्वारा पुनः सम्वत् 2075 मे किया गया, अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी मे आता है। पत्रावली मे अतिक्रमित रकबा कम है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश मे बेदखली एवं शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाकर, अपीलांट की सजा माफ की जा सकती है।

हमने उभयपक्षो के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया गया। अपीलांट को नोटिस की तामील करवाई गयी है। अपीलांट वक्त निर्णय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा मे अनुपस्थित रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का के बयान लिये गये है ओर अपीलार्थी को पटवारी के बयानो मे जिरह का अवसर नही दिया गया है तथा दो स्वतंत्र गवाहों के बयान भी नही लिये गये है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय की तकनिकी त्रुटी होना पाया जाता है।

अतः परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा द्वारा प्रकरण संख्या 23/2018 मे पारित आदेश दिनांक 28.9.2018 मे बेदखली एवं शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अपीलांट को उक्त आदेश से दी गई सिविल कारावास की सजा को इस शर्त पर माफ किया जाता है, कि तहसीलदार छबडा 7 दिवस मे जॉच करे कि अपीलांट का यदि अतिक्रमित आराजी वाके ग्राम बारई तहसील छबडा के खसरा नम्बर 785 की रकबा 3 बीघा भूमि किस्म चारागाह पर वर्तमान मे कब्जा है, तो उक्त भूमि से कब्जा छोड दे, तो तहसीलदार, छबडा द्वारा प्रकरण संख्या 23/2018 मे अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत पारित आदेश दिनांक 28.9.2018 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ रहेगी अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.9.2018 यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 11.3.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति0 जिला कलक्टर,
बारां